



## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक

/2015 जिला-रीवा

वेस्टा 1386-II-15

मोहम्मद अली उपाध्यक्ष जामा मस्जिद मदरसा  
हनुमान, तहसील हनुमना, जिला-रीवा (म.प्र.)

..... प्रार्थी

श्री. मोहम्मद अली उपाध्यक्ष को  
राज दि. 6.6.15

मोहम्मद अली उपाध्यक्ष  
मोहम्मद अली उपाध्यक्ष  
मोहम्मद अली उपाध्यक्ष

Dehatwadi  
6/6/15

विरुद्ध

- 1- मानिकलाल तनय परमसुख गुप्ता
- 2- लल्लूलाल तनय स्व. रामजीत दर्जी
- 3- हनुमानदास तनय छंगालाल
- 4- हजारीलाल तनय रामचन्द्र
- 5- प्रेमलाल तनय रामचन्द्र
- 6- डिगनलाल तनय रामचन्द्र
- 7- शंकरलाल तनय भगवानदास
- 8- मुरारीलाल तनय शिवप्रसाद
- 9- राजेश गुप्ता तनय नामालुम  
निवासीगण- ग्राम अमहा वासुदेव, तहसील  
हनुमना, जिला-रीवा (म.प्र.)

..... प्रति प्रार्थीगण

### म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन-पत्र

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

#### मामले के संक्षिप्त तथ्य :

- 1- यहकि, प्रार्थी का प्रकरण क्रमांक 1922-II/2012 पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2015 को नियत था।
- 2- यहकि, नियत दिनांक 28.04.2015 को प्रार्थीगण के अधिवक्ता अभिभाषक संघ के निर्णय के अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। प्रार्थी अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था इस कारण प्रार्थी नियत दिनांक 28.04.2015 को उपस्थित नहीं हो सका। और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया जिसकी जानकारी आवेदक के अधिवक्ता को मई के तीसरे सप्ताह में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना पलक/बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से यह आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।
- 3- यहकि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि आवेदक स्वीकार प्रकरण क्रमांक 1922-II/2012 पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2015 को नियत था। पुनरीक्षण पुनः स्थापित कर गुणा गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान किया जायें।




## XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. 1386-115

जिला- शिवार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-9-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया । अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	 ( एम.क.सिंह ) सदस्य